

भारतीय कारागारों में मासिक धर्म स्वच्छता

प्रलिस के लिये:

[वशिव मासिक धर्म स्वच्छता दविस](#), [राष्ट्रीय परिवार स्वास्थय सर्वेक्षण](#), [राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड बयुरो](#), [वशिव बैंक](#), [मासिक धर्म स्वच्छता योजना](#)

मेन्स के लिये:

भारतीय जेलों में मासिक धर्म स्वच्छता, भारत में महिला कैदी, मासिक धर्म स्वास्थय नीतियाँ

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

[वशिव मासिक धर्म स्वच्छता दविस 2024](#) पर, भारत मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, [5वें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थय सर्वेक्षण \(National Family Health Survey- 2019-2020\)](#) की रिपोर्ट के अनुसार 15-24 वर्ष की आयु की लगभग 80% युवा महिलाएँ वर्तमान में सुरक्षित मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों का उपयोग करती हैं।

- हालाँकि, सर्वाधिक रूप से भारतीय जेलों में हाशिये पर रहने वाली महिलाओं की जरूरतों को अनदेखा किया जाता है। सामाजिक पूर्वाग्रह इन महिलाओं को बुनियादी अधिकारों और उचित [मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन](#) से वंचित करते हैं, जो आगे सुधार के लिये एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र को चहिनति करता है।

जेलों में मासिक धर्म स्वच्छता की स्थिति क्या है?

- जनसंख्या: [राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड बयुरो](#) के अनुसार, भारतीय जेलों में लगभग 23,772 महिलाएँ हैं, जिनमें से 77% प्रजनन आयु वर्ग (18-50 वर्ष) की हैं और उनमें से अधिकतर को संभवतः मासिक धर्म होता है।
- असंगत पहुँच: जेलों में [सैनिटरी नैपकिन](#) की उपलब्धता असमान है और यहाँ दिये जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है।
- एक समान उत्पाद आकार: सभी जेलों में 'एक ही आकार' के सैनिटरी पैड जारी किये जाते हैं, जो सभी महिलाओं की अलग-अलग आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते।
 - अधिकांश जेलों में अन्य प्रकार के मासिक धर्म संबंधी उत्पाद जैसे टैम्पोन (Tampons) या [मैन्सट्रुअल कप \(Menstrual Cup\)](#) उपलब्ध नहीं होते।
- सुविधाओं का अभाव: [2016 मॉडल प्रजिन मैनुअल](#) की सफ़िरशियों के बावजूद, कई राज्यों ने महिला कैदियों को स्वच्छ जल और शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है।
- अपशष्ट नपिटान संबंधी मुद्दे: मासिक धर्म स्वच्छता सामग्री के उचित नपिटान हेतु किये गए कार्यों की अक्सर उपेक्षा की जाती है, जिससे महिलाओं का स्वास्थय और स्वच्छता दोनों प्रभावित होते हैं।
- अतरिकित चुनौतियाँ: भीड़भाड़ और नमिन सामाजिक-आर्थिक स्थितिके कारण जल, डटिर्जेंट एवं साबुन जैसी आवश्यक वस्तुओं तक पहुँच में बाधा उत्पन्न होती है।

जेलों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन की अनदेखी क्यों की जाती है?

- कलंक का भय: मासिक धर्म अपने आप में एक वर्जित वषिय हो सकता है और खासकर जेल के वातावरण में इस पर खुलकर चर्चा करने में झझिक हो सकती है। इससे महिलाओं के लिये अपनी जरूरत की चीजें मांगना मुश्कल हो सकता है।
- कानूनी ढाँचे का अभाव: जेलों में मुफ्त, असीमति सैनिटरी उत्पादों के प्रावधान को अनविर्य बनाने वाला कोई प्रभावी कानून नहीं है।
 - किसी भी जेल नयिम में महिला कैदियों को मासिक धर्म के दौरान गर्म पानी उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है।
 - मासिक धर्म स्वास्थय योजनाएँ: [मासिक धर्म स्वच्छता योजना, 2011](#), [स्वच्छ भारत अभियान](#) और [प्रधानमंत्री भारतीय जन](#)


औषधिपरियोजना जैसी मौजूदा योजनाएँ विशेष रूप से महिला कैदियों की ज़रूरतों को पूरा नहीं करती हैं।

◦ **मॉडल प्रज़िन मैनुअल, 2016** में आवश्यकतानुसार स्टेरेलाइज़्ड सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया है, लेकिन राज्यों और जेलों में इसके क्रयान्वयन में व्यापक अंतर मौजूद है।

- पर्याप्त आँकड़ों का अभाव: जेलों में जल की उपलब्धता के संबंध में पर्याप्त आँकड़ों का अभाव है, जिससे स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के प्रयास और अधिक जटिल हो जाते हैं।
- **जागरूकता का अभाव:** जेल के अधिकारियों को मासिक धर्म के दौरान महिलाओं की वशिष्ट आवश्यकताओं या उनके स्वास्थ्य के लिये मासिक धर्म स्वच्छता के महत्त्व के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है।
- **बजटीय बाधाएँ:** मासिक धर्म संबंधी उत्पाद उपलब्ध कराने को एक अतिरिक्त व्यय के रूप में देखा जा सकता है, विशेष रूप से सीमिति संसाधनों वाली जेलों में जहाँ भीड़भाड़ अधिक होती है।

मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (Menstrual Hygiene Management- MHM):

- यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और मानवाधिकारों का एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। **यह रक्त को सोखने या इकट्ठा करने के लिये स्वच्छ मासिक धर्म सामग्री का उपयोग करने की प्रथा को संदर्भित करता है।**
- MHM में आवश्यकतानुसार शरीर को धोने के लिये साबुन और पानी का उपयोग तथा प्रयुक्त मासिक धर्म सामग्री के नपिटान की सुविधा तक पहुँच भी शामिल है।
- **यूनसिफ** मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य देखभाल के महत्त्व पर जोर देता है, क्योंकि यह मासिक धर्म वाली लाखों महिलाओं की **रमि, स्वास्थ्य और शक्ति** को प्रभावित करता है, विशेष रूप से विकासशील देशों में जहाँ स्वच्छ जल तथा स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच सीमिति हो सकती है।
- **वशिव बैंक जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य (WASH)** सुविधाओं, मासिक धर्म से संबंधित कफायती स्वच्छता सामग्री, बेहतर तरीकों की जानकारी और शर्मदिगी के बिना मासिक धर्म का प्रबंधन करने के लिये एक सहायक वातावरण तक पहुँच की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है।
- **मासिक धर्म स्वास्थ्य को मानवाधिकार का मुद्दा माना जाता है। हर किसी को शारीरिक स्वायत्तता का अधिकार है, जिसमें मासिक धर्म के दौरान अपने शरीर की देखभाल करने की क्षमता शामिल है।**



UNFPA-UNHCR

Menstrual hygiene management kit (MHM)

One kit contains the essential menstrual hygiene items to cover the needs of a menstruating person for up to three months.



Standard content




Disposable sanitary pads



Female underwear (panty)



Detergent/
Washing Powder



Clothes
pegs + string



Bath soap +
plastic holder



Leaflet

Variable content



Disposable
sanitary pads



Reusable
menstrual Pads



Menstrual
cups



Tampons

May 2023

UNFPA Supply Chain Management Unit
unfpa.org/supplychain



वशिव मासकि धरु सवचछता दविस 2024:

- वशिव मासकि धरु सवचछता दविस 28 रई को मनाया जाता है । इसका उददेश्यमासकि धरु से जुडी चुप्पी को तोडना और एक बेहतर मासकि धरु सवचछता प्रबंघन को बढावा देना है ।
- थीम: "#पीरयिडफरेंडलीवरलड" ।
- इतहास: वरुष 2013 में जरुमनी स्थति गैर सरकारी संगठन WASH यूनाइटेड ने मासकि धरु से जुडी भरंतयिों से नपिटने और उचति सवचछता सुवधाओं तथा कफियाती मासकि धरु उत्पादों तक पहुँच को बढावा देने के लयि मासकि धरु सवचछता दविस की शुरुआत की ।

मासकि धरु सवचछता से संबंघति सरकारी पहल क्या हैं?

- **राष्ट्रीय मासकि धरु सवचछता नीति:** वरुष 2023 में प्रसतुत की जाने वाली यह नीति सभी के लयि सुरक्षति और सम्मानजनक मासकि धरु सवचछता पर ज़ोर देती है ।
 - उललेखनीय बात यह है कि नीति में कैदयिों को लक्षति जनसंख्या के रूप में चहिनति कथिा गया है, जनिकी मासकि धरु सवचछता सुवधाओं तक पहुँच कमज़ोर है, जो एक सकारात्मक कदम है ।
 - **टोस योजनाओं का अभाव:** नीति में जेलों में मासकि धरु सवचछता प्रबंघन में सुधार के लयि कोई वशिषिट कार्य योजना प्रदान नहीं की गई है ।
- **मासकि धरु सवचछता योजना (MHS):** स्वास्थय एवं परवार कल्याण मंत्रालय ने 10-19 वरुष आयु वरुष की ग्रामीण कशोरयिों में मासकि धरु सवचछता को बढावा देने के लयि मासकि धरु सवचछता योजना (Menstrual Hygiene Scheme- MHS) शुरु की है ।
 - यह योजना वकेंद्रीकृत करय के माध्यम से कशोरयिों को कफियाती दरों पर सैनटिरी नैपकनि उपलब्ध कराती है तथा इनके वतिरण और शकिषा के लयि मान्यता प्राप्त सामाजकि स्वास्थय कार्यकर्त्ता (Accredited Social Health Activist-ASHA) ज़रुमिेदार होती हैं ।
- **प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परयोजना (PMBJP):** सुरक्षा सुवधा नैपकनि (ऑक्सो-बायोडगिरेडेबल सैनटिरी नैपकनि) जन औषधि केंद्रों पर 1 रुपए प्रतिनैपकनि की दर से उपलब्ध हैं ।
- **बेटी बचाओ, बेटी पढाओ (BBBP) (मशिन शक्ति):**
 - मासकि धरु सवचछता और सैनटिरी नैपकनि के उपयोग के बारे में जागरूकता बढाना ।
- **समग्र शकिषा:** मासकि धरु स्वास्थय और सवचछता के लयि राज्य-वशिषिट परयोजनाएँ, जनिमें स्कूलों में सैनटिरी पैड वेंडगि मशीनें तथा भस्मक (Incinerators) मशीनें लगाना शामिल है ।
- **ज़ीरो-नैपकनि मशिन:** ज़ीरो-नैपकनि मशिन का उददेश्य सथिटकि (कृत्रमि) नैपकनि को मेंस्टरुअल कप से बदलना है, जसिं केरल में लागू कथिा गया है ।
 - सथिटकि नैपकनि से उत्पन्न पर्यावरणीय चुनौतयिों एवं स्वास्थय संबंधी समस्याओं के कारण, केरल में स्थानीय नकिया मेंस्टरुअल कप वतिरति कर रहे हैं और उनके उपयोग के बारे में जागरूकता बढा रहे हैं ।

आगे की राह

- **पीरयिड पैंट्री (Period Pantry):** जेलों में कैदयिों के लयि नरिदशिषिट और सुलभ स्थान नरुमिति कथि जाने चाहयि, जहाँ वे गुप्त रूप से मासकि धरु संबंधी आपूरता का अनुरोध कर सकें तथा उसे प्राप्त कर सकें, जैसे उत्पादों से भरे वेंडगि मशीन या वतिरण के लयि नामति कर्मचारी ।
- **सवचछता नायकियाएँ:** जेल में बंद महिलाओं को मासकि धरु सवचछता के सर्वोत्तम तरीकों पर सहकरुमी शकिषक बनने के लयि प्रशकिषति करना चाहयि ।
 - इससे उनहें साथी कैदयिों के साथ जज़ान साझा करने, सामुदायकि भावना को बढावा देने और आत्म-देखभाल करने में सहायता मिलती है ।
 - मासकि धरु सवचछता प्रबंघन और गलत धारणाओं को दूर करने हेतु जेल कर्मचारीयिों के लयि कार्यशालाएँ आयोजति की जानी चाहयि ।
 - स्तरी रोग संबंधी जाँच और मासकि धरु संबंधी स्वास्थय संबंधी चतिाओं पर शकिषा के लयि नियमति पहुँच प्रदान करने हेतु महिला स्वास्थय पेशेवरों को शामिल करना चाहयि ।
- **बुनयिादी मानकों की गारंटी:** सरकार को जेलों में मासकि धरु सवचछता के लयि एक समान राष्ट्रीय वनियिमन स्थापति करने चाहयि तथा उनहें बनाए रखना चाहयि, जसिमें मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाले सैनटिरी पैड उपलब्ध कराना, महिला वार्डों में उचति वेंटलैशन के साथ सवचछ और कार्यशील शौचालय सुनशिचति करना व सैनटिरी पैड के लयि सुरक्षति एवं सवचछ नपिटान डबिबे उपलब्ध कराना शामिल है ।
 - शौचालयों की मरुमत और उन्नयन के लयि बजट आवंटति करके जेलों के बुनयिादी ढाँचे को उन्नत करना चाहयि ।
- **स्थरिता और नगिरानी:** कार्यानवयन का आकलन करने, उत्पाद की उपलब्धता पर नज़र रखने और समस्याओं का समाधान हेतु एक नगिरानी प्रणाली स्थापति करनी चाहयि । मासकि धरु सवचछता को एक बुनयिादी अधिकार के रूप में बढावा देना चाहयि और महिलाओं के कल्याण पर नरितर ध्यान देने के लयि इसे जेल सुधार पहलों में शामिल कथिा जाना चाहयि ।

???????? ???? ?????:

प्रश्न. मासकि धरु सवचछता प्रबंघन सार्वजनकि स्वास्थय का एक अनविरय घटक है । भारत में जेल में बंद महिलाओं के लयि सम्मानजनक और पर्याप्त मासकि धरु सवचछता सुवधाएँ सुनशिचति करने के महत्त्व पर चरचा कीजयि ।

?????:

प्रश्न. भारत में समय और स्थान के वरिद्ध महिलाओं के लयि नरिंतर चुनौतयिँ क्या हैं? (2019)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/menstrual-hygiene-in-indian-prisons>

